Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to include Chhattisgarhi language in the Eighth Schedule to the Constitution - Laid

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 28नवम्बर 2007 को राज्य शासन की ओर से विधानसभा में हिन्दी के बाद छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत कर 11 जुलाई 2008 को छत्तीसगढ़ राजभाषा (संशोधन अधिनियम 2007) का विधिवत प्रकाशन किया गया है। 3 दिसम्बर 2010 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग गठन किया गया, अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हुई है। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकतर भू-भाग में लगभग 34 उपबोलियों के साथ बोली जाती है, तथा अपने पड़ोसी राज्यों में भी प्रभाव बनाए हुए है। साहित्य लेखन के समृद्ध भंडार है। इसकी 5000 से भी ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ी राजभाषा अपने उपबोलियों के साथ राज्य के 82 प्रतिशत लोगों के बीच संवाद की भाषा है। संविधान की सूची में आने के पश्चात छत्तीसगढ़ी भाषा प्रशासन के कार्यों में और सम्पादन के लिए सहायक सिद्ध होगी। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की अत्यंत आवश्यकता है। जिसकी मांग पूर्व में भी लोक सभा और राज्यसभा दोनों सदनों के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाई गई है।

अत :छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ी राजभाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु सरकार से स्वीकृति प्रदान करने के लिए अपनी मांग रखता हूँ।